झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 59 वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीराम विकास पाठक एवं अन्य, ग्रा०-लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्र०-विश्रामपुर, जिला-पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0—59 / 2023 अपीलकर्ता श्री रामविकास पाठक एवं अन्य, ग्राम—लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड—विश्रामपुर, जिला—पलामू का अपील—आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपील आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा राशन डीलर श्री जितेन्द्र राम, अनुज्ञप्ति सं0—02 / 06 के विरूद्ध माह अगस्त एवं माह अक्टूबर, 2022 का PMGKAY का खाद्यान्न 130 क्विंटल एवं NFSA का माह जुलाई, 2023 का 22.23 क्विंटल (कुल—153 क्वींटल) खाद्यान्न लाभुकों के बीच वितरण न कर, कालाबाजारी कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा उक्त राशन डीलर को निलंबित करते हुए सभी कार्डधारियों को निकटम राशन डीलर, इंद्रा महिला समूह, ग्राम+पंचायत—लालगढ़, प्रखण्ड—विश्रामपुर, जिला—पलामू के साथ सम्बद्ध किया गया है। परिवाद—पत्र में उल्लेख है कि उक्त श्री जितेन्द्र राम द्वारा वितरित नहीं किये गये खाद्यान्न की कटौती वर्तमान राशन डीलर इंद्रा महिला समूह के माह अगस्त तथा सितम्बर, 2023 के आवंटन से की जा रही है। संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खाद्यान्न में कटौती किये जाने के कारण वर्तमान राशन डीलर इंद्रा महिला समूह के द्वारा लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है। अपीलकर्ताओं द्वारा खाद्यान्न का गबन करने के आरोप में राशन डीलर, श्री जितेन्द्र राम, अनुज्ञप्ति सं0—02 / 06 के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई करने एवं सभी राशन कार्डधारियों को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक—31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें। दिनांक—31.10.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx66	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–59 / 2023</u>

31.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री राम विकास पाठक एवं अन्य, ग्राम–लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से एवं शिकायतकर्त्ता श्री कामेश्वर सिंह, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित है। और उनका दूरभाष भी बंद है। जबकि शिकायतकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता राम विकास पाठक एवं अन्य जिनका नाम इस आवेदन में उल्लेखित है। उन सभी का कहना है की उन्हें माह अगस्त एवं माह अक्टूबर–2022 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न 130 क्विंटल एवं NFSA का माह जुलाई–2023 का 22.23 क्विंटल तीनों माह मिलाकर कर (कुल–153 क्विंटल) जनवितरण प्रणाली विक्रेता जितेन्द्र राम ला0 सं0 02 / 06 के द्वारा खाद्यान्न लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया एवं खाद्यान्न का कालाबाजारी किया गया है।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे सभी शिकायतकर्त्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है, उस अवधि का राशन सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने अगर आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया और व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में उपस्थित नहीं रहें तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

G:\Rachana jsfc\Court order.docx12

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–59 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के अन्य प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित हैं। श्री कामेश्वर सिंह का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आयोग के आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता एवं अन्य लाभुकों को आयोग के आदेश के आलोक में सवा गुणा के दर से बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता एवं अन्य लाभुकों द्वारा प्राप्त अनाज के विरूद्ध किये गये अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का विवरणी आयोग को भेजा है। लिखित प्रमाण होने के बावजूद अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि का कहना है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं। अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री कामेश्वर सिंह का कहना है कि कुल–153 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी की गई है। आयोग शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को यह बताना चाहता है कि आयोग का अधिकार क्षेत्र यह सुनिश्चित करना है कि लाभुकों को उनका बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया जाए और नियमित तौर पर उन्हें उस मात्रा में अनाज मिले, जितना सरकार द्वारा निर्धारित है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को भेजे प्रतिवेदन और सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि वे लिखित तौर पर यह बताएँ कि किन लोगों को अब तक किस अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता लिखित तौर पर अपनी सूची आयोग को भेजें, ताकि आयोग उस सूची की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से करा पाए। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx131	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.12.2023	**वाद संख्या–59/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के अन्य प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के प्रतिनिधि के तौर पर प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, श्री संजय कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित। इस वाद में आज की सुनवाई में और पिछले सुनवाई में भी श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित थे। उनके द्वारा रखे गये पक्ष पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया था। साथ ही पिछले सुनवाई में शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिया गया था कि वे उन लोगों की सूची उपलब्ध कराएँ, जिन लोगों को अब तक अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित हैं लेकिन उनका कहना है कि वे शिकायतकर्ता के रूप में मौजूद हैं। ऐसे में आयोग ने जब इस वाद की मूल शिकायत का अवलोकन किया तो पाया कि मूल शिकायत के शिकायतकर्ता में श्री कामेश्वर सिंह का नाम अंकित नहीं है। ऐसे में आयोग श्री कामेश्वर सिंह को निर्देश देता है कि यदि वे शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर सुनवाई में उपस्थित होते हैं, तो श्री राम विकास पाठक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि होने के आशय के पत्र के साथ आयोग की सुनवाई में उपस्थित हुआ करें। शिकायतकर्ता के तौर पर आयोग उनका पक्ष नहीं सुन सकता, क्योंकि शिकायतकर्ताओं की सूची में उनका नाम अंकित नहीं है। इस बीच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आज की सुनवाई में उपस्थित श्री संजय कुमार, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत–पत्र की मूल प्रति की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि शिकायत–पत्र में जिन शिकायतों का उल्लेख किया गया और जिन शिकायतकर्ताओं का हस्ताक्षर है, उन सब को यदि जिस कालखण्ड में अनाज नहीं बांटने का उल्लेख किया गया, उस कालखण्ड का यदि उन्हें अनाज उपलब्ध कराया गया है, तो उसका प्रमाण आयोग के समक्ष पेश करें। अन्यथा उन सभी शिकायतकर्ताओं जिन्होंने शिकायत–पत्र में हस्ताक्षर किया है, उन्हें सवा गुना मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx138	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–59 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू अनुपस्थित। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विश्रामपुर द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित पत्रांक–03 दिनांक–09.01.2024 के माध्यम से आयोग को एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शिकायतकर्त्ताओं ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें डीलर जितेन्द्र राम से खाद्यान्न प्राप्त हो गया है और अब उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है। सभी शिकायतकर्त्ताओं का हस्ताक्षर भी प्रतिवेदन में संलग्न है। शिकयतकर्त्ता द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने के पत्र के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267